

— प्रेस नोट —
जनपद मीरजापुर

संख्या:-24/2020

दिनांक:- 15.07.2020

फरार 20 हजार का ईनामिया पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य गैगस्टर, थाना पड़री पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फरार 25 हजार का ईनामिया पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य गैगस्टर संतोष सिंह उम्र-34 वर्ष पुत्र लालमनी सिंह पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। संतोष सिंह पुत्र लालमनी सिंह निवासी धनई थाना पड़री मीरजापुर एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य है, इस गिरोह के सदस्यों- थाना पड़री क्षेत्र के नन्दलाल सिंह पुत्र लालमनि उम्र-46 वर्ष (गैग लीडर), मुन्ना सिंह पुत्र टेगरी सिंह उम्र-44 वर्ष, रमेश सिंह पुत्र लालमनि उम्र-44 वर्ष, वीरेन्द्र पुत्र नन्दलाल उम्र-23 वर्ष समस्त निवासीगण धनई थाना पड़री मीरजापुर द्वारा वध हेतु गोवंशों की तस्करी पुलिस से छुपते छुपाते की जाती रही है, इसी तस्करी के क्रम में उपरोक्त गैग द्वारा वर्ष 2018 में गोवंशों को वध हेतु ले जाते समय दिनांक 16.09.2018 को थाना पड़री पुलिस कुल 26 राशि गोवंश बरामद करते हुए दो अभियुक्त नन्दलाल पुत्र लालमनि व वीरेन्द्र पुत्र नन्दलाल को गिरफ्तार कर इस संबंध में थाना पड़री पर मु0अ0स0-212/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु कुरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त गैग के इस गंभीर प्रकृति के अपराध के दृष्टिगत आरोप प्रमाणित होने पर गैग लीडर व उसके सदस्यों के विरुद्ध थाना पड़री पर गैगस्टर एक्ट (मु0अ0स0-79/2020 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना व वाछिंत अभियुक्त के गिरफ्तारी के क्रम में थाना पड़री पुलिस द्वारा दिनांक 15.06.2020 को वीरेन्द्र पुत्र नन्दलाल व दिनांक 16.05.2020 को रमेश सिंह पुत्र लालमनि, दिनांक 20.06.2020 को गैग लीडर नन्दलाल पुत्र लालमनि सिंह, मुन्ना सिंह पुत्र टेगरी सिंह को दिनांक 04.07.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, शेष एकमात्र अभियुक्त संतोष सिंह फरार चल रहा था, और गैगस्टर के मुकदमें में गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, जिस कारण पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अभियुक्त संतोष सिंह की गिरफ्तारी हेतु रुपये 20 हजार का ईनाम घोषित किया गया था, उसी क्रम में बड़ी कार्यवाही करते प्रभारी निरीक्षक मंजय सिंह थाना पड़री के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उक्त 25 हजार का ईनामिया फरार गैगस्टर अपराधी संतोष सिंह पुत्र लालमनी सिंह निवासी धनई थाना पड़री मीरजापुर को दिनांक 15.07.2020 को समय 08.20 बजे डगमगपुर के पास से गिरफ्तार कर मां0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

संतोष सिंह पुत्र लालमनी सिंह निवासी धनई थाना पड़री मीरजापुर उम्र-34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0-177/2014 धारा 308,324,504,506 भा0द0वि0 थाना पड़री मीरजापुर।
- 2-मु0अ0स0-64/2016 धारा 307 भा0द0वि व धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पड़री मीरजापुर।
- 3-मु0अ0स0-317/2012 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पड़री मीरजापुर।
- 4-मु0अ0स0-682/2008 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पड़री मीरजापुर।
- 5-मु0अ0स0-296/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पड़री मीरजापुर।
- 6-मु0अ0स0-212/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पड़री मीरजापुर।
- 7-मु0अ0स0-301/2016 धारा 3 (1) गुण्डा अधिनियम थाना पड़री मीरजापुर।
- 7-मु0अ0स0-79/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना पड़री मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मंजय सिंह थाना पड़री मीरजापुर ।
2. का0 प्रशान्त राय थाना पड़री मीरजापुर ।
3. का0 भगवान दास थाना पड़री मीरजापुर ।

